

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0334

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

25.02.13

तारीख 25.02.13 से 24.04.11 तक

जिला - पटना

अनुमंडल - पटना सिटी

केश का प्रकार - दाखिल खारीज दाखिल खारीज बाद सं० 06 / 2012-2013 हल्का सं० 03

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहि												
02/13	<p>श्री/श्री मती <u>कुरती देवी</u> पिता/पति श्री/श्री मती <u>रजेंद्र खार</u> ग्राम <u>महलखणपुरा कोरी पो 2/1 गुलजाबाग</u> थाना <u>आलमगंज</u> जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>1144</u> दिनांक <u>25.02.11</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">थाना सं०</th> <th style="text-align: left;">खाता सं०</th> <th style="text-align: left;">खेसरा</th> <th style="text-align: left;">रकबा(ए.-डि में)</th> <th style="text-align: left;">लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>रमसीह</u></td> <td><u>65</u></td> <td><u>62</u></td> <td><u>1257</u></td> <td><u>10 धूर</u></td> <td><u>0.25</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>06/03/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान	<u>रमसीह</u>	<u>65</u>	<u>62</u>	<u>1257</u>	<u>10 धूर</u>	<u>0.25</u>	<p>25/02/13</p>
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान									
<u>रमसीह</u>	<u>65</u>	<u>62</u>	<u>1257</u>	<u>10 धूर</u>	<u>0.25</u>									
03/13	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / प्रवर्कर्ता / पूर्व विकेता / दानकर्ता <u>श्री रंजीत राय पं० रनेपट राय</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,भू-दान,भू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं महल पर आम सूचना निर्गत कर आपति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>06/04/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>	<p>अंचलधिकारी फतुहां।</p>												

P.T.O.

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं०.....०३..... दाखिल खारीज बाद सं०.....०६...../2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

104/11
अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विकेता/पावर्दीता/पूर्व विकेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है वूँकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित कायां है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारीज की स्वीकृति दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।